न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 36/2025   **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/38**

दायर दिनांक :– 17.02.2025   **निर्णय दिनांक :– 14.01.2026**

1. सदाम पुत्र शेरखां जाति मुसलमान निवासी मोरिया तहसील आउ जिला फलोदी
2. इसाक पत्र शेरखां जाति मुसलमान निवासी मोरिया तहसील आउ जिला फलादी
3. इरफान पुत्र शेरखां जाति मुसलमान निवासी मोरिया तहसील आउ जिला फलोदी
4. खजीना पुत्री शेरखां जाति मुसलमान निवासी मोरिया तहसील आउ जिला फलोदी
5. जिनु पत्नी शेरखां जाति मुसलमान निवासी मोरिया तहसील आउ जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों की कब्जासुदा भूमि की खसरा नम्बर 6/9 रकबा 0.8094 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 7/11 रकबा 2.7519 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा खाजुसर पटवार हल्का घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी में स्थित है। प्रार्थीगण की सहहिस्सेदारी की कब्जा काश्त भूमि खसरा नम्बर 6/9 तथा खसरा नम्बर 7/11 सरहद मौजा खाजूसर में प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा के माफिक कब्जा काश्त में चली आने के बावजूद राजस्व कर्मचारियों ने डीआईएलआरएमपी कार्यक्रम के तहत मौका पर कब्जा काश्त की जांच के बिना सरसर गलत अपने कार्यालय में बैठकर ही गलत तरमीम कर दी, जबकि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा के माफिक वास्तविक एवं भौतिक काश्त में चला आ रहा है। प्रार्थीगण गलत तरमीम को हटाने एवं प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा में बताई गई भूमि तरमीम के माफिक दोनों ही खसरान् की तरमीम दुरूस्त करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण ने अपनी सह खातेदारी की भूमि हल्का पटवारी से मौका पर पैमाईश करवाई तो प्रार्थीगण को बताया गया कि तुम्हारे काश्त की भूमि जिसमें तम्हारी आवासीय ढाणी, कुण्ड व तारबंदी की हुई है उससे काफी दूरी पूरब की दिशा में तरमीम की हुई है। प्रार्थीगण पटवारी हल्का से मौका पर कब्जा काश्त के माफिक तरमीम दुरूस्ती करने का कहने पर

Satya

उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

हल्का पटवारी ने गलत तरमीम हटाकर निरस्त करवाने और अभिलेख दुरूस्त करवाने के सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का कहने पर प्रार्थीगण का यह अभिलेख दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार घंटियाली ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली किये गये। पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली ने जवाब में बताया कि उक्त वादग्रस्त भूमि वर्तमान में अप्रार्थी एवं प्रार्थीगण के नाम दर्ज है उकत खसरों में नियमानुसार तरमीम शुद्व की जाती है तो कोई उजर एतराज नहीं है। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम खाजुसर के खसरा नम्बर 6/9 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7/11 रकबा 2.7519 हैक्टेयर भूमि की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में हो रखी है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है वर्तमान ऑनलाईन तरमीम सेग्रीकेशन योजना के तहत की गई है परन्तु खसरा नम्बर 6/9 व 7/11 की तरमीम सेग्रीकेशन योजना से पूर्व किस प्रकार लट्ठा नक्शा में अंकित थी इसका उल्लेख पटवारी हल्का की रिपोर्ट में नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सेग्रीकेशन योजना से पूर्व नक्शा लट्ठा में तरमीम किस प्रकार अंकित की थी। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के संलग्न ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि पूर्व में तरमीम किस प्रकार अंकित थी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला मजिस्ट्रेट एवं उप खण्ड अधिकारी बाप, जिला फलोदी (राज.)
सत्यमेव जयते

Satya..
(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)